Result Mitra Daily Magazine

High seas treaty या राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर समझौता

हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में भारत सरकार ने सोमवार 8 जुलाई को महासागरीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय कानून हाई सीज संधि (High seas treaty) पर हस्ताक्षर करने और उसका अनुमोदन करने की बात कही है।
- ज्ञातव्य हो कि उच्च सागर संधि (High sea treaty) जिसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पड़े जैव विविधता पर समझौते (BBN), Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction) कहा जाता है, पर 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के साप्ताहिक सम्मेलन के दौरान न्यूयार्क में हस्ताक्षरित किए गए थे।
- औपचारिक रूप से उच्च सागर संधि (High seas treaty) को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे महासागरीय एवं समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग का समझौता कहा जाता है।

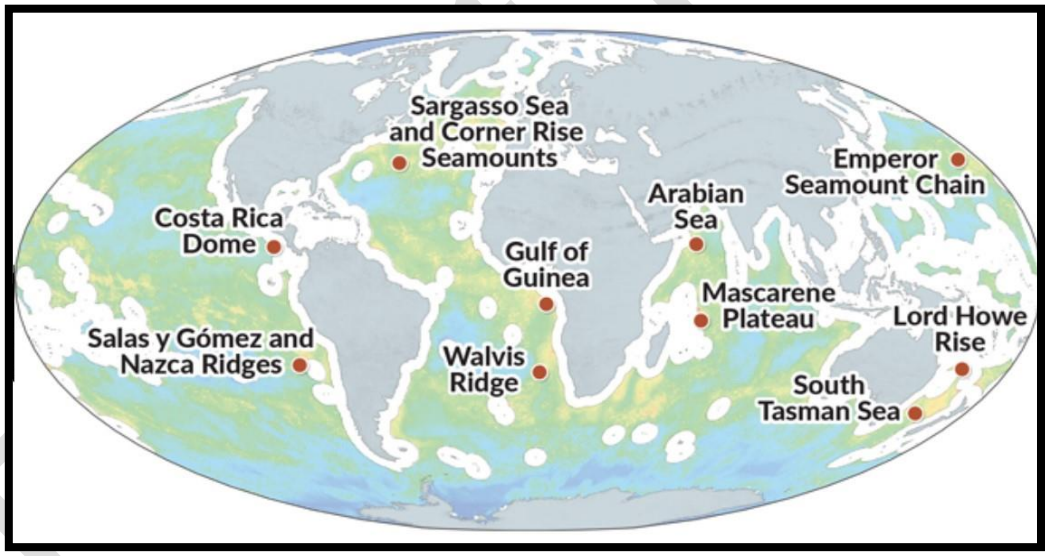

हाई सीज (उच्च सागर) क्या है ?

- उच्च सागर या High seas ऐसे दुनिया भर के ऐसे सागरीय एवं महासागरीय खारे पानी का हिस्सा है जो किसी देश के प्रादेशिक या आंतरिक जल का हिस्सा नहीं है।
- उच्च सागर संबंधित यह सिद्धांत वर्ष 1609 में डच न्यायविद ट्यूगो ग्रोटियस ने दिया था।
- उच्च समुद्री यानी हाई सीज पर कानून बनाने के लिए सर्वप्रथम 1958 में 'जेनेवा' में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उच्च समुद्रों के कानून को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया लेकिन यह सफल नहीं हो पाया।
- हालांकि वर्ष 1973 में न्यूयॉर्क शहर में उच्च समुद्री कानून को अंतिम रूप दिया गया।

- हालांकि वर्ष 1958 के 'जेनेवा' संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान ही हाई सीज यानी उच्च समुद्र को परिभाषित कर लिया गया था।
- हाई सीज को किसी देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से 200 समुद्री मील (370 Km) से परे समुद्री क्षेत्र को हाई सीज के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- प्रत्येक देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) (370 Km से बाहर) से बाहर के क्षेत्र को उच्च समुद्री या अंतरराष्ट्रीय जल के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- उच्च समुद्र या अंतरराष्ट्रीय जल विश्व के कुल महासागरीय क्षेत्र का लगभग 64% (लगभग दो तिहाई) क्षेत्र बनाता है।
- उच्च समुद्री क्षेत्र में सभी देशों को समान रूप से नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार होता है।

हाई सीज संबंधित संकट

- चूँकि हाई सीज क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में नहीं आता इसलिए इनके समस्याओं की जिम्मेदारी किसी की नहीं है।
- हाई सीज क्षेत्रों में विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे संसाधनों की अत्यधिक दोहन, प्लास्टिक के डंपिंग सहित प्रदूषण, समुद्र के अम्लीकरण, जैव विविधता की हानि सहित कई समस्याओं से यत्र क्षेत्र पीड़ित हो चुका है।
- संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 तक हाई सीज क्षेत्रों में लगभग 17 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक को डंप किया जा चुका था जिसे आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है।
- उच्च समुद्री क्षेत्र में विभिन्न देशों की मानव जनित गतिविधियों के कारण समुद्री जल की अम्लीकरण होने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है जो लगभग 2.7 लाख ज्ञात समुद्री प्रजातियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है।

हाई सीज संबंधी अंतरराष्ट्रीय कानून

- वर्ष 1882 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उच्च समुद्री क्षेत्रों के लिए 'समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (UNCLOS, United nations Convention on the Law of the Sea) के रूप में एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया।
- UNCLOS के तहत उच्च समुद्री क्षेत्रों के लिए वैध व्यवहार एवं इसके उपयोग के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार किया गया।
- इस रूपरेखा के तहत महासागरों के आयोग के लिए सभी राष्ट्रो के लिए अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित किया गया।
- UNCLOS की रूपरेखा के तहत ही क्षेत्रीय बल और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को परिभाषित किया गया।
- इसके अलावा UNCLOS समुद्री संसाधनों का सभी देशों के लिए न्यायसंगत पहुंच एवं उपयोग, समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांत भी निर्धारित करता है।
- इसी आधार पर वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNCLOS के तहत तैयार किए गए रूपरेखा को कानूनी रूप देने का निर्णय किया गया।

Result Mitra

ऐतिहासिक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पड़े जैव विविधता पर समझौता (BBNJ)

- राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर समझौता, UNCLOS के तहत एक समझौता है जिसे मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में आयोजित एक अंतर सरकारी सम्मेलन के रूप में अंतिम रूप दिया गया।
- BBNJ संधि को 20 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क में इसे हस्ताक्षर के लिए खोला गया जो 2 साल तक यानी 20 सितंबर 2025 तक हस्ताक्षर के लिए खुले रहेंगे। विश्व के लगभग 91 से अधिक देशों ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं जबकि 8 से अधिक देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है।

संधि का मुख्य उद्देश्य

- राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर समझौता (BBNJ) का मूल रूप से चार उद्देश्य हैं:-
- समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण
- समुद्री अनुवांशिक संसाधनों का उचित और न्याय संगत बंटवारा
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित रूप से प्रदूषण या नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों का पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करके इसके उपचार का प्रबंध करना।
- विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण।

संधि के अनुसंधान की प्रक्रिया

- किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू होने के लिए एक निश्चित न्यूनतम संख्या में देशों का अनुमोदन करना जरूरी होता है।
- BBNJ संधि को अंतरराष्ट्रीय कानून बनने के लिए 60 देशों का अनुमोदन प्रस्ताव चाहिए।
- 60 देशों के अनुमोदन के 120 दिन बाद यह संधि अंतरराष्ट्रीय कानून का रूप ले लेगी।
- संधि का अनुमोदन या अनुसमर्थन वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई देश संधि के तहत बनाए गए प्रावधानों को कानूनी रूप से मानने के लिए सहमत होता है।

- संधि का अनुमोदन करना और हस्ताक्षर करना दोनों एक दूसरे से भिन्न है।
- संधि पर हस्ताक्षर करना इस बात को दर्शाता है कि कोई देश संधि में उल्लेखित प्रावधानों से सहमत है तथा इसका पालन करने को तैयार है।
- प्रत्येक देश में अनुमोदन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया है।
- ऐसे देश जहां संसद जैसी विधायी संस्थाएं हैं वहां आमतौर पर ऐसे अनुमोदन या अनुसमर्थन के लिए विधायिका की सहमति आवश्यक होती है।
- ऐसे विधायी संस्था वाले देशों के लिए संधि पर हस्ताक्षर करना आसान होता है जबकि अनुमोदन के लिए विधायी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है।
- ऐसे देश जहां संसद जैसी विधायी संस्थाएं नहीं है वहां इस प्रकार के अनुमोदन के लिए केवल कार्यकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- इस नए BBNJ संधि का अब तक 8 देशों में अनुमोदन किया है जबकि 91 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है।

भारत के संबंध में

- भारत विश्व के अधिकांश देशों की तरह पिछले 20 वर्षों से BBNJ संधि को लागू करने एवं इसे अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने का पक्षधर रहा है।
- ऐसे में भारत द्वारा BBNJ संधि पर हस्ताक्षर एवं अनुमोदन करने का निर्णय समुद्री पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के इनकी सदियों पुरानी रुचि को दर्शाता है।

Result Mitra